# भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
## तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांक: 6(306)एसपी / 2016 / खण्ड–प्रथम / 2100

दिनांक: 29.10.2018

निमित्त,

मै0 रामसहाय गुर्जर एण्ड कम्पनी
वैशाली नगर, जयपुर रोड़, मालपुरा
जिला टोंक, राजस्थान – 304502

विषय : संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा क्रमांक 1281506 दिनांक 04.09.2018 के तहत निम्नलिखित सारणी में दी गई दरों सभी करों एवं खर्चो सहित सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया है।

(अ) कार्यो का विवरण :–

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | अनुमानित समय अवधि एवं विवरण | कार्य की अनुमानित मात्रा | दर प्रति ईकाई | दर रूपये में सभी करों एवं खर्चो सहित (रूपयों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1– | प्रक्षेत्र के अधिन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षेत्र में सभी कृषि क्रियाएं अपनाते हुए सैक्टर प्रभारियों के निर्देशानुसार हरे चारे का उत्पादन करना रिजका, जई तथा जायद मे चौंला एवं बाजरे का हरा चारा उत्पादन ( रिजका एवं जई की बुवाई का कार्य अक्टूबर माह व चौंला तथा बाजरे की बुवाई मार्च–अप्रेल में आवश्यकतानुसर होगी ) | रिजका / बरसीम / चाइनीज कैबेज हरा चारा | 400 क्विटल | प्रति क्विंटल | 50.00 |
| | | जई हरा चारा | 6000 क्विटंल | प्रति क्विंटल | 105.00 |
| | | बाजरा / ज्वार हरा चारा | 4500 क्विंटल | प्रति क्विंटल | 90.00 |
| | | चौंला हरा चारा | 50 क्विंटल | प्रति क्विंटल | 40.00 |
| 2– | प्रक्षेत्र के अधिन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षेत्र में जई का बीज उत्पादन करना, बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये जैसे निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, जई की थ्रेसिंग करना । बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना ( प्रक्षेत्र तैयार करने के लिए ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा ) | जई का बीज | 30 क्विंटल | प्रति क्विंटल | 700.00 |
| नोट : पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती हैं | | | | | |

(ब) कार्यो का विवरण :–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1– | 1– ब्लॉक न॰ 9 पर लगभग 2 हैक्टर क्षेत्रफल में लगें सभी प्रकार की प्रजाति के पौधों की समय–समय पर देखभाल करना जिसमें पौधों में खाद एवं कीट व्याधियों के बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव करना, समय–समय पर निराई–गुड़ाई का कार्य करवाना, पौधों की कटाई–छंटाई करवाना ।<br>2– अजोला खेती (7.7MX7.7M) आकार क्षेत्रफल में अजोला उत्पादन करना ।<br>3– फार्म अनुभाग कार्यालय के सामने बने (43MX33M) आकार क्षेत्रफल में बने (9MX8M) की पौधशाला में पौध तैयार कर रख–रखाव करना एवं लोन के चारो ओर बनी क्यारिया तथा क्षेत्र में लगे पेड़–पौधो की निराई–गुड़ाई एवं देख–रेख को निर्देशानुसार करना ।<br>4– ब्लॉक नम्बर–12 में मौसम शाला (40MX60M) आकार क्षेत्रफल की साफ–सफाई एवं पानी डालना का कार्य प्रतिमाह नियमित रुप से करवाना । | 12 माह | प्रति माह | 8000.00 |

2/–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2– | संस्थान के विभिन्न सैक्टरों पर लगभग 3000 पौधे लगाने हेतु गड्ढे खोदना तथा उनको खाद मिट्टी से भरना एवं पौधे लगाना एवं वर्ष भर आवश्यकतानुसार पानी पिलवाना। वृक्षारोपण हेतु 2X2X2 फीट आकार के गड्ढे खोदने होगें, उनमें खाद एवं मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना होगा । | 3000पौधे | प्रति पौधा | 8.00 |

अतः उपरोक्त सारणी में दर्शाये गये कार्य जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पादित करने हेतु निम्न लिखित नियम व शर्तो के आधार पर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी, जिसे कार्य संतोषप्रद रहने पर सक्षम अधिकारी महोदय अनुबन्धकर्ता की सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुबंधकर्त्ता को फार्म अनुभाग के चॉदसेन सैक्टर के (ब्लाक–9 में 16 हैक्टर, ब्लाक–5 में 6 हैक्टर, ब्लॉक–4 में 6 हैक्टर एवं ब्लॉक–3 में 2 हैक्टर लगभग), टाउनशीप (ब्लाक–12 में 9 हैक्टर लगभग ), नयाकुआ (ब्लाक–14 में 6 हैक्टर एवं ब्लाक–16 में 3 हैक्टर लगभग), एवं मझोला ब्लॉक–17 में 5 हैक्टर ( ब्लाक–19 में 9 हैक्टर लगभग) सैक्टरों के अन्तर्गत सिंचाई में काम आने वाले ट्युबवेलों एवं उक्त क्षेत्र में लगी लोहे की फेन्सिंग की देखभाल करना, सैक्टर एवं वहाँ पर उपलब्ध सामानो की सुरक्षा करना, कार्यालयों के आस–पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों की सफाई, लॉन की देखरेख, कटाई–छगांई, पेड़–पौधें को पानी डालना, अनुभाग की नर्सरी की देखभाल करना एवं प्रत्येक सैक्टर पर पहले से बनी नालियों में निदेर्शानुसार अपशिष्ट ऊन की खाद तैयार करना। साथ ही हरे चारे की फसल के अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने पर प्रभारी फार्म अनुभाग के निर्देशानुसार समस्त सामान प्रभारी सैक्टर को सौपना होगा ।
3. सारणी "अ" क्रमांक संख्या 1 एवं 2 पर वर्णित जई के बीज की थ्रेसिंग करवाकर उसकी शुद्ध मात्रा व भूसा को प्रक्षेत्र अनुभाग के भण्डार कक्ष में पहुँचाना होगा।/प्रति क्विंटल की दर के लिए केवल बीज की कुल मात्रा ही ली जावेगी ।
4. अनुबन्धकर्ता को प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउनशीप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यो को करवाने के लिए अलग–अलग परवेयक्षक नियुक्त कर प्रभारी फार्म/प्रभारी सैक्टरो के निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य समय पर पूरे करवाने होगें । अनुबन्ध कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रभारी सेक्टरों के निर्देशानुसार श्रमिकों का प्रबन्ध करना होगा। कार्य निर्देशानुसार समय पर पूर्ण नहीं करवाने पर अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।
5. काटे गये हरे चारे में अगर किसी तरह की मिलावट (खरपतवार) प्रभारी प्र–क्षैत्र/प्रभारी, सेक्टर/गठित समिति द्वारा महसूस की जाती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य करना होगा।
6. रबी व गर्मी की फसलों मे सिचांई के पानी के हिसाब से हरा चारा उत्पादन करना होगा।
7. जई का बीज उत्पादन में सभी सैक्टर प्रभारियों के निर्देशानुसार कृषि कार्य अनुबन्धकर्ता को करने होगें एवं थ्रेसींग का कार्य स्वंय अनुबन्धकर्ता को करवाना होगा।
8. रोजाना चारे को लाने व लेजाने के लिये ट्रेक्टर मय ट्रेक्टर ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। एक क्विंटल तक हरा चारा मांग के अनुसार भेड/बकरी सेक्टर तक पहुंचाने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगी।
9. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा । जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रेक्टर व यन्त्र संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा
10. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्ये प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
11. प्रक्षेत्र में कार्य का विवरण ब में क्रम संख्या 1 के अनुसार ड्रीप संयत्र की देखभाल करना जिसमें ड्रीप लाइनों में पानी को व्यवस्थित रुप से चलवाने का कार्य, ड्रीप हेड की समय–समय पर सफाई करवाना, समय–समय पर पौधों के गड्डों की मरम्मत का कार्य करवाना। हेड संयत्र के आस–पास के प्रक्षेत्र को साफ–सुथरा रखना एवं पानी के होज की समय–समय पर साफ–सफाई का कार्य करना ।कार्य के लिए औजार स्वंय अनुबन्धकर्ता के होगें ।
12. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होगें। कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नही होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है । जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वंय की होगी साथ ही भविष्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा ।
13. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान /चारी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जप्त कर लीजावेगी ।
14. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता /उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
15. विविध कारणों से चारा उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना/क्षतिपूर्ति नही की जावेगी।
16. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
17. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संन्तोषजनक नही होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता होगी तथा भविष्य के लिये कार्य आवंटन नही किया जावेगा।

.....3/–

कटौतियाँ:–

18. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वंय अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी ।
19. अनुबन्कर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगा । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी । नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा ।
20. variation clause subject to force measure को देखते हुए प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत कम या 20 प्रतिशत अधिक होने पर कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा । परन्तु प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में, 20 प्रतिशत से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है । इसी तरह तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रतिशत का ही भुगतान किया जावेगा ।

जैसे: यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 क्विंटल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रतिशत कम उत्पादन होने पर अर्थात 800 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 क्विंटल ही रह जाती है तो उस स्थिति में कम उत्पादन मात्रा 100 क्विंटल पर 10 प्रतिशत कम करके अर्थात 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबंधकर्त्ता को किया जा सकेगा ।

ठीक इसी तरह यदि निश्चित की गई उत्पादन मात्रा 1000 क्विंटल है 20 प्रतिशत अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंधकर्त्ता को अर्थात 1200 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढकर यदि 1400 क्विंटल हो जाने पर ऐसी स्थिति में 200 क्विंटल अधिक मात्रा पर 90 प्रतिशत मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा। अर्थात कुल मात्रा 1380 क्विंटल का ही अनुबंधकर्त्ता को भुगतान देय होगा ।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:</u>

21. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
22. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, प्रक्षेत्र से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
23. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
24. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
25. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी. एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax)एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
26. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
27. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
28. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेष एवं संषोधन लागू होंगे।
29. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।

.....4/–

30. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
31. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
32. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
33. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
34. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(हर्षित अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी, फार्म अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें, कि ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधियों का भुगतान प्रतिमाह भारत सरकार के नियमानुसार निर्धारित दरों पर उनकी उपस्थिति में कर दिया गया है जिसे सत्यापित करते हुए किये गये भुगतान की प्रति श्रीमान सक्षम अधिकारी को प्रतिमाह रिकार्ड हेतु भिजवावें तथा ठेकेदार द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण (Maintain) को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें तथा ठैकेदार द्वारा लगाये गये प्रतिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा तुरन्त क्रय अनुभाग को सूचित करें। सक्षम अधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिये है कि अनुबन्ध के दौरान किये जाने वाले कार्यो की मोनिटरिंग अच्छी प्रकार से की जावें।
2. आहरण व संवितरण अधिकारी
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. सर्तकता अधिकारी
5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
6. प्रभारी, ए.के.एम.यू.
7. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त प्रयोजनार्थ एक वर्ष तक होने वाले व्यय रूपये 11,98,000/– वित्तीय स्वीकृति पत्रावली क्रमांक 6(306)एसपी/2016/खण्ड प्रथम/ नोट सीट पेज नं. 3 पर दिनांक 15.10.2018 को प्रदान की हैं। यह व्यय वित्त वर्ष 2018–19 – 2019–20 में संस्थान को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित बजट से वहन किया जावेगा।

प्रशासनिक अधिकारी